भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4356

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के साथ द्विपक्षीय संबंध

4356. श्री मनीश तिवारीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कथित रूप से भारतीय नागरिकों/अधिकारियों की संलिप्तता वाले आपराधिक मामलों में हाल के घटनाक्रमों पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों का इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है:
(ग) क्या सरकार ने इन मामलों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारों के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विशेषकर इन मामलों के किसी संभावित परिणाम के आलोक में, सरकार द्वारा अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (घ) सरकार को अमेरिका और कनाडा में कथित कृत्यों अथवा ऐसी मंशा में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता के आरोपों की जानकारी है। अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में, संगठित अपराधियों, हथियार तस्करों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित अमेरिकी पक्ष द्वारा साझा किए गए कुछ इनपुट जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को भी प्रभावित करते हैं, की जांच एक उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा की जा रही है, जिसका गठन इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। जहां तक कनाडा का प्रश्न है, उसने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके समर्थन में उसने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे पर उसका सार्वजनिक

बयान भारत विरोधी अलगाववादी एजेंडे से प्रेरित प्रतीत होता है। इस तरह के बयान पर कायम रहना किसी भी स्थायी द्विपक्षीय संबंध के लिए हानिकारक ही हो सकता है। अतः सरकार ने कनाडाई प्राधिकारियों से उनके देश से सक्रिय भारत विरोधी तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई करने का बार–बार आग्रह किया है।

अमेरिका और कनाडा में रहने, काम करने और पढ़ाई करने वाले भारतीय नागरिकों का कल्याण, सुरक्षा और संरक्षा भारत सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका और कनाडा में भारतीय नागरिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं की जानकारी मिलते ही उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है, ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके।

*****